

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 1225 OF 2024

IN THE MATTER OF: -

Amit Kumar

...Applicant

Versus

Union of India & Ors.

...Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of the Respondent No. 5 & 6 Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 07.02.2025 passed by the Hon'ble Tribunal	1-5
2.	ANNEXURE NO. R5&6/1 A true copy of the letter dated 24.08.2024	6
3.	ANNEXURE NO. R5&6/2 A true copy of the inspection report dated 06.05.2025	7-14
4.	ANNEXURE NO. R5&6/3 A true copy of the letter dated 14.05.2025	15-16
5.	ANNEXURE NO. R5&6/4 A true copy of the letter dated 14.05.2025	17

**Uttar Pradesh Pollution Control Board
Respondent No. 5&6**

Through



AMIT SHUKLA

Advocate for the Respondent No. 5&6

Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303

Email: amit.shukla@lexweb.in

Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi

Date: 14.05.2025



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1225/2024
(I.A. No. 82/2025)

IN THE MATTER OF:

Amit Kumar

....Applicant

Versus

Union of India & Ors.

....Respondent(s)

**REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 5 & 6,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN
COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 07.02.2025 PASSED
BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

I, Geetesh Chandra S/o Sh. Radhey Shyam Chandra, aged about 46 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Muzaffarnagar do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.
2. That the grievance in the present matter is that respondent no. 15, M/s. Kuber Traders is engaged in the processing and storage of char, pyrolysis oil, and furnace

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
14 MAY 2025

oil and is causing severe environmental pollution and creating health hazards and the unit is operating without having necessary environmental clearance and without obtaining consent to operate or NOC from UPPCB in close proximity to residential areas, schools, temple and emitting pollutants including dangerous/hazardous gases.

3. That the officials of the UPPCB carried out the inspection of the unit in question on 17.08.2024. During inspection the unit found established and operating without obtaining 'No Objection Certificate' and 'Consent to Operate' under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 wherefore the Notice has been issued against the unit vide letter no. 599/G-104/IGRS/Shamli/2024 dated 24.08.2024 by directing to shift the unit outside the 500 meter periphery of the educational, religious institution, hospital and residential areas and also to apply for No Objection Certificate and Consent to Operate.

A true copy of the letter no. 599/G-104/IGRS/Shamli/2024 dated 24.08.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R5&6/1**.

4. That further in compliance of the order dated 17.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal the inspection of the

PRENA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
14 MAY 2025

unit in question has been carried out by the joint committee on 21.11.2024 and UPPCB has filed its detailed response on 06.02.2025 before this Hon'ble Tribunal for consideration.

NOTARY

5. That vide its order dated 07.02.2025 this Hon'ble Tribunal has directed the answering respondent to file its reply in pursuance to the averments made by the applicant vide present interlocutory application.

NOTARY

6. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal and in pursuance to the report of joint inspection, a joint inspection of the unit M/s Kuber Traders, Khasra No.-110, Village Bhatti Majra, Tehsil-Unn, District-Shamli have again been conducted by the UPPCB and Officials of Revenue Office, Tehsil-Unn, District-Shamli on dated 06.05.2025.

NOTARY


A true copy of the inspection report dated 06.05.2025 is being annexed herewith as **Annexure R5&6/2**.

NOTARY

7. That during inspection the unit was found not in operation. The seal is finds fixed on the electrical panel of the electric motor as mentioned in the joint committee report filed in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 17.10.2024. Further, during inspection, a DG Set having Capacity of 65 KVA without canopy and RECD found in the

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
14 MAY 2025

NOTARY



premises. The said DG Set has also been sealed by UPPCB. The photographs taken during in being attached herein below:



8. That on account of illegally establishment and operation of the unit in question without obtaining consents under Air Act and Water Act, the UPPCB has issued a closure order under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended, against the unit vide letter no. H28164/C-3/Vayu-622/2025 dated 14.05.2025 along with imposition of environmental

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

14 MAY 2025

NOTARY

compensation Rs. 6,06,250/- in accordance to the methodology developed by the CPCB. A copy of the letter dated 14.05.2025 is being annexed herewith as **Annexure R5&6/3.**

NOTARY

Further, a letter has been sent to Electricity Department Shamli for disconnection of Electricity Supply by UPPCB, Muaffarnagar vide letter no. 163/OA No.-1225/Amit Kumar/Shamli/2025 dated 14.05.2025.

NOTARY

A copy of the letter dated 14.05.2025 is being annexed herewith as **Annexure R5&6/4.**

NOTARY

That the response on behalf of the Respondent-5&6, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is submitted before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.



[Signature]
Deponent

VERIFICATION

NOTARY

Verified at Muzaffarnagar on this the 14th day of May, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
Deponent

NOTARY

[Signature: Anurag Chandra]

PREERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
14 MAY 2025

.....
the deponent.....
.....
I have satisfied my self in examining the
deponent who understands the contents
of the affidavit which has been read out and
explained by me to the deponent For.....
Charged Rs.....
NOTARY, DISTT MUZAFFARNAGAR

Identified by
[Signature]

Email: rnmuzaffarnagar@uppcb.in

फ़ोन नं० - 0131-2436483



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ क्र.
Ref. No.

सेवा में,

599/G-104/IGRS/shamli/2024

दिनांक

Dated

24.8.2024

अंकित सिंह

मै० कुबैर ट्रेडर्स

इकाई संचालक- श्री जयसिंह

ग्राम भट्टी माजरा, खसरा नं०-110

तहसील-ऊन, जिला-शामली।

विषय:- आप द्वारा इकाई संचालन के विरुद्ध जिला शामली के जनसुनवाई पोर्टल संदर्भ सं०-60000240152397 एवं 60000240152399 के माध्यम से जनशिकायत प्राप्त होने के सम्बन्ध में।

आप द्वारा ग्राम भट्टी माजरा, खसरा नं०-110, तहसील-ऊन, जिला-शामली में मै० कुबैर ट्रेडर्स के नाम से इकाई का संचालन किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध जिला शामली के जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से जनशिकायत प्राप्त होने पर इकाई का निरीक्षण दिनांक 17.08.2024 को कराया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा इकाई में पायरो ऑयल एवं फर्नेश आयल को स्टोर किया जाता है तथा आयल को गर्म किये जाने हेतु एक भट्टी स्थापित है जोकि संचालित नहीं पायी गयी। आप द्वारा स्टोरेज टैंक को खुले परिसर में स्थापित किया गया है तथा परिसर की साफ-साफाई एवं पेड़-पौधों की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इकाई को आवादी/शैक्षिक संस्थान/धार्मिक स्थल/अस्पताल आदि से 500 मीटर की परिधि से बाहर स्थानान्तरित करते हुए एवं राज्य बोर्ड से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्थापित/संचालित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति से 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपकी इकाई के विरुद्ध की गयी नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

(अंकित सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

Reply in compliance to the order of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on dated 07.02.2025 in Original Application No. 1225/2024 (I.A. No. 82/2025) Amit Kumar Versus Union of India and Others

BACKGROUND

1. In the original application, applicant Mr. Amit Kumar has alleged that M/s Kuber Traders, Village Bhatti Mazra, Khasra No.-110, Tehsil Unn, District Shamli is engaged in processing of and storage of Char, Pyrolysis oil and Furnace oil is causing severe environmental pollution and creating health hazards in the close proximity to the residential areas, school, temple and emitting pollutants including dangerous/hazardous gases without obtaining necessary environmental clearance and without obtaining Consent to operate or NOC from UPPCB.
2. It is also mention here that a grievance has been received to Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Muzaffarnagar against the said industry through Uttar Pradesh Jansunwai Portal, the complainant has made allegation with respect to illegal operation of the Unit M/s Kuber Traders Village Bhatti Mazra, Khasra No.-110, Tehsil Unn, District Shamli involved in processing and storage of Char, Pyrolysis oil and Furnace oil without obtaining Consent to operate by UPPCB. Regional Office, UPPCB, Muzaffarnagar conducted inspection of said industry on 17.08.2024. On the basis of the facts finding in the inspection of the said unit, it has been found that the unit has supplied Char, Pyrolysis Oil and Furnace Oil by heating process to the transporters. 01 nos. of oil fired close furnace has been found established in the unit for heating purpose of the oil. The unit is being found established and operating without obtaining No Objection Certificate and Consent to Operate under Water

(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Notice has been served vide letter no. 599/G-104/IGRS/Shamli/2024 dated 24.08.2024 directing the unit to shift outside the 500 meter periphery of the educational, religious institution, hospital and residential areas and apply for No Objection Certificate and Consent to Operate.

The Hon'ble NGT has passed order dated 17.10.2024 and 07.02.2025 in O.A. No. 1225/2024 Amit Kumar Vs Union of India & Ors. The operative portion of the order is as under :-

Order dated 17.10.2024

“.....The Applicant alleges that the Unit is operating without necessary environmental clearance and without obtaining consent to operate or NOC from UPPCB.

- 6. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.*

In compliance to the order passed by Hon'ble Tribunal, UPPCB has submit its action taken report. The facts of the report are as follows :

- i. In pursuance to the order passed by this Hon'ble Tribunal a Joint Inspection was carried out by the joint team of Sub Divisional Magistrate,

Tehsil-Unn, District-Shamli and the officials of UPPCB on 21.11.2024 to verify the allegations mentioned by the applicant.

- ii. During the Inspection, it was found that the unit is involved in storage of Pyrolysis oil and Furnace oil in MS tanks. Earlier the unit was also involved in melting process by a small furnace which was closed down by the District Administration. During present inspection, the same was again verified and the furnace was not in operational state.
- iii. The unit was found illegally operating near residential area without having valid Consent to Operate by UPPCB.
- iv. Unit has been established at a distance of about 250 mtr. from School and 400 mtr. from the Habitation of village Mangalore.
- v. Due to the violations found by the joint team, the joint committee sealed the Electric feeder of Motor being used for filling of the product and Shut down the Operation of Unit.

Further, Hon'ble National Green Tribunal order dated 07.02.2025

"5. The applicant has filed I.A. No. 82/2025 by email dated 03.02.2025 for issuance of directions to Respondent No. 5 & 6 for imposing environmental compensation and also ensuring cessation of operations at night time and demolition of the complex in question if deemed necessary as per law."

7. Reply to I.A. No. 82/2025 be filed by the respondents no. 5 & 6 at least one week before the date of hearing fixed.

10. List on 16.05.2025 for further consideration."

Status Report in compliance of the Hon'ble Tribunal order dated 07.02.2025

In compliance of the above order passed by Hon'ble Tribunal, a joint inspection of the unit M/s Kuber Traders, Khasra No.-110, Village Bhatti Majra, Tehsil-Unn, District-Shamli have been conducted by Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Muzaffarnagar in presence of Revenue Officers, Tehsil Unn, District Shamli on dated 06.05.2025. During the inspection of the said unit, the unit was found not in operation. The seal is find fixed on the electrical panel of the electric motor. During the inspection, a DG Set of Capacity of 65 KVA without canopy and RECD found in the premises. The DG Set also been sealed by Regional Office, UPPCB, Muzaffarnagar.



Due to the unit has been established and operated illegally without obtaining Air/Water consents from the State Board, Regional Office UP Pollution Control Board Muzaffarnagar have been recommended environmental compensation of Rs. 6,06,250/- on the unit for total 97 violating days and recommended to issue a closure order under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended to the State Board Head Office, Lucknow for disconnection of Electricity of the unit and for ensuring cessation of the unit during the night time.

UPPCB, H.O. Lucknow has issued a closure order under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended against the unit vide letter no. H28164/C-3/Vayu-622/2025 dated 14.05.2025 with imposition of environmental compensation Rs. 6,06,250/- (**Annexure-1**). Further, a letter has been sent to Electricity Department Shamli for disconnection of Electricity Supply by UPPCB, Muaffarnagar vide letter no. 163/OA No.-1225/Amit Kumar/Shamli/2025 dated 14.05.2025 (**Annexure-2**).

The above report is submitted for your kind consideration please.



(Kunwar Santosh Kumar)
A.E.E.



(Geetesh Chandra)
Regional Officer



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H20164 / सी-3/अपु 622 / 2025

दिनांक: 14-5-25

सेवा में,

8044563506

पंजीकृत

मै0 कुबेर ट्रेडर्स,

खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन,

जनपद-शामली।

यह कि उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली, जोकि पायरो ऑयल, फर्नेस ऑयल एवं चारकोल को टैंकर्स में भण्डारित किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-2, ज्ञद्ध के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0 1225/2024, अमित कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स योजित है। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त ओ0ए0 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2024 के अनुपालन में इकाई का पूर्व में संयुक्त निरीक्षण दिनांक 21.11.2024 को उपजिलाधिकारी ऊन, जिला शामली एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में पायरो ऑयल, फर्नेस ऑयल एवं चारकोल को टैंकर्स में भण्डारित किया जाता पाया गया तथा भण्डारित ऑयल को गर्म किये जाने हेतु एक फर्नेस/भट्टी स्थापित पायी गयी। उद्योग द्वारा भण्डारित ऑयल को ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले उद्योगों में सप्लाई किया जाता है। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई संचालन के सम्बन्ध में मात्र जीएसटी पंजीयन प्रस्तुत किया गया। उक्त इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना किया जाता पाया गया।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में इकाई का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 21.11.2024 को उपजिलाधिकारी ऊन, जिला शामली एवं इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0-110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जिला-शामली में पायरो ऑयल, फर्नेस ऑयल एवं चारकोल को टैंकर्स में भण्डारित किया जाता है तथा भण्डारित ऑयल को गर्म किये जाने हेतु एक फर्नेस/भट्टी स्थापित है जिसकी क्षमता 4.0 टन है, भण्डारित ऑयल को ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले उद्योगों में सप्लाई किया जाता है।

निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई संचालन के सम्बन्ध में मात्र जीएसटी पंजीयन प्रस्तुत किया गया। उक्त इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना किया जाता पाया गया, जिस कारण इकाई का संचालन अवरुद्ध किये जाने हेतु इलेक्ट्रिक मोटर के विद्युत फीडर को सील कर दिया गया तथा आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष दिनांक 06.02.2025 को शपथ-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गयी। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.02.2025 में निम्नवत् आदेशित किया गया:-

"...5. The applicant has filed I.A. No. 82/2025 by email dated 03.02.2025 for issuance of directions to Respondent No. 5 & 6 for imposing environmental compensation and also ensuring cessation of operations at night time and demolition of the complex in question if deemed necessary as per law...."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में उद्योग का संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर एवं ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेंट द्वारा दिनांक 06.05.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित नहीं पायी गयी। उक्त इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0-110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जिला-शामली के विरुद्ध रू0 6,250/- प्रतिदिन की दर से कुल 97 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6,06,250/- अधिरोपित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की यथासंशोधित धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन,

जनपद-शामली के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित बन्दी निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाए।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न उद्योग के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, गाम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली का PI-50, N-1, R-250, S-0.5, LF-1 लेते हुए निरीक्षण दिनांक 17.01.2024 से दिनांक 21.11.2024 तक कुल 97 दिवसों पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 6250/-प्रतिदिन की दर कुल रू0 6,06,250/-(रू0 छः लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाये।
सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शामली।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शामली को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली, की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करे।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, गाम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करे।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली की बन्दी सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०

Ref. No.

163/OA No. -1225/Amit Kumar/Shamli/2025

दिनांक

Dated

14-05-2025

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शामली।

विषय:-मै० कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं० 110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील ऊन, जिला शामली के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उद्योग मै० कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं० 110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील ऊन, जिला शामली के संचालन के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० में ओ०ए० संख्या 1225/2024 अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स के अन्तर्गत सुनवाई की जा रही है। उक्त वाद के अन्तर्गत सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 16.05.2025 नियत है। सन्दर्भित उद्योग राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाये जाने पर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय लखनऊ द्वारा पत्र संख्या एच28164/सी-3/वायु-622/2025 दिनांक 14.05.2025 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथारंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं तथा विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित किये जाने हेतु प्रति आपको भी पृष्ठांकित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उद्योग मै० कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं० 110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील ऊन, जिला शामली को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि बन्दी आदेशों की अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(गीतेश चन्द्रा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

s/c



210
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

15

संदर्भ संख्या: H20164 / सी-3/मुफ 622 / 2025

दिनांक: 14-5-25

सेवा में,

8044563506

पंजीकृत

मै0 कुबेर ट्रेडर्स,
खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन,
जनपद-शामली।

यह कि उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली, जोकि पायरो ऑयल, फर्नेस ऑयल एवं चारकोल को टैंकर्स में भण्डारित किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-2, ब्रह्म के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0 1225/2024, अमित कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स योजित है। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त ओ0ए0 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2024 के अनुपालन में इकाई का पूर्व में संयुक्त निरीक्षण दिनांक 21.11.2024 को उपजिलाधिकारी ऊन, जिला शामली एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में पायरो ऑयल, फर्नेस ऑयल एवं चारकोल को टैंकर्स में भण्डारित किया जाता पाया गया तथा भण्डारित ऑयल को गर्म किये जाने हेतु एक फर्नेस/भट्टी स्थापित पायी गयी। उद्योग द्वारा भण्डारित ऑयल को ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले उद्योगों में सप्लाई किया जाता है। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई संचालन के सम्बन्ध में मात्र जीएसटी पंजीयन प्रस्तुत किया गया। उक्त इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना किया जाता पाया गया।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में इकाई का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 21.11.2024 को उपजिलाधिकारी ऊन, जिला शामली एवं इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0-110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जिला-शामली में पायरो ऑयल, फर्नेस ऑयल एवं चारकोल को टैंकर्स में भण्डारित किया जाता है तथा भण्डारित ऑयल को गर्म किये जाने हेतु एक फर्नेस/भट्टी स्थापित है जिसकी क्षमता 4.0 टन है, भण्डारित ऑयल को ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले उद्योगों में सप्लाई किया जाता है।

निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई संचालन के सम्बन्ध में मात्र जीएसटी पंजीयन प्रस्तुत किया गया। उक्त इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना किया जाता पाया गया, जिस कारण इकाई का संचालन अवरुद्ध किये जाने हेतु इलैक्ट्रिक मोटर के विद्युत फीडर को सील कर दिया गया तथा आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष दिनांक 06.02.2025 को शपथ-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गयी। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.02.2025 में निम्नवत् आदेशित किया गया:-

"....5. The applicant has filed I.A. No. 82/2025 by email dated 03.02.2025 for issuance of directions to Respondent No. 5 & 6 for imposing environmental compensation and also ensuring cessation of operations at night time and demolition of the complex in question if deemed necessary as per law....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में उद्योग का संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर एवं ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेंट द्वारा दिनांक 06.05.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित नहीं पायी गयी। उक्त इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0-110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जिला-शामली के विरुद्ध रू0 6,250/- प्रतिदिन की दर से कुल 97 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6,06,250/- अधिरोपित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की यथासंशोधित धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन,

जनपद-शामली के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित बन्दी निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाए।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न उद्योग के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, गाम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली का PI-50, N-1, R-250, S-0.5, LF-1 लेते हुए निरीक्षण दिनांक 17.01.2024 से दिनांक 21.11.2024 तक कुल 97 दिवसों पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 6250/-प्रतिदिन की दर कुल रू0 6,06,250/-(रू0 छः लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शामली।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शामली को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली, की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करे।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, गाम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करे।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं0 110, ग्राम-भट्टी माजरा, तहसील-ऊन, जनपद-शामली की बन्दी सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०
Ref. No.

163/OA No. -1225/Amit Kumar/Shamli/2025

दिनांक
Dated

14-05-2025

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शामली।

विषय:-मै० कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं० 110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील ऊन, जिला शामली के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उद्योग मै० कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं० 110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील ऊन, जिला शामली के संचालन के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० में ओ०ए० संख्या 1225/2024 अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स के अन्तर्गत सुनवाई की जा रही है। उक्त वाद के अन्तर्गत सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 16.05.2025 नियत है। सन्दर्भित उद्योग राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाये जाने पर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय लखनऊ द्वारा पत्र संख्या एच28164/सी-3/वायु-622/2025 दिनांक 14.05.2025 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं तथा विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित किये जाने हेतु प्रति आपको भी पृष्ठांकित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उद्योग मै० कुबेर ट्रेडर्स, खसरा नं० 110, ग्राम भट्टी माजरा, तहसील ऊन, जिला शामली को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि बन्दी आदेशों की अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित की जा सके।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदाय,


(अनिल कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, शामली को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।


(अनिल कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

s/c